

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 10.9.2017

संख्या-12/प0 (मू0को0)-5002/15-सा0प्र0- 11661 / बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क0 सं0	पदाधिकारी का नाम, को0 क0 एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्री मुरली प्रसाद सिंह, 1338/11, खगड़िया	वरीय उप समाहर्ता, पटना ।	अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय ।
2	श्री संजय कुमार, 1388/11, नालन्दा	भूमि सुधार उप समाहर्ता, जयनगर, मधुबनी ।	अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना ।
3	श्री आलोक कुमार, 1148/11, जहानाबाद	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर ।	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सीतामढ़ी ।

उपर्युक्त क्रमांक 1 एवं 2 के पदाधिकारियों को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है। साथ ही उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चिमलेश कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प0 (मू0को0)-5002/15-सा0प्र0- 11661 /पटना, दिनांक- 10-9-2017

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पंचायतीराज विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा 2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव